

RCMS-AAO AF 25098 297

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चाण्डिल।

अनुसूची फार्म सं०-662

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश फलक

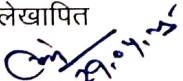
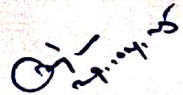
जिला- सरायकेला-खरसावाँ

अनुमण्डल- चाण्डिल

अंचल- चाण्डिल

केस का प्रकार- जमाबंदी दर्ज करने के संबंध में।

अभिलेख सं०- 06/25-26

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																													
1	2	3																													
27.04.2015	अभिलेख का संधारण राजस्व उप निरीक्षक श्री सुरेश सिंह मुण्डा एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री मनोज कुमार महतो के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक उत्तम बेज के द्वारा परिशोधन पोर्टल में शिकायत सं०- PRI240602033297173420252812724731, दिनांक- 18.02.2025 के द्वारा मौजा- गौरी खाता सं०- 25, 24, प्लॉट सं०- 906, 163 अन्तर्गत भूमि कम्प्यूटराईजेशन के दौरान निम्न आवेदित भूमि का छुटे हुए जमाबंदी की ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में जाँच किया गया। जाँचोपरान्त प्रतिवेदित भूमि की विवरणी निम्नवत है :- <table><tr><th>क०</th><th>मौजा/थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा (ए०० में)</th><th>पंजी II रैयत का नाम</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr><tr><td>1</td><td>गौरी/327</td><td>25</td><td>906</td><td>0.43</td><td rowspan="2">भुन्दा मांझी, पिता- घुन्टु मांझी</td></tr><tr><td></td><td></td><td>24</td><td>163</td><td>0.26</td></tr><tr><td colspan="4">कुल</td><td>0.69 ए०</td><td></td></tr></table> उक्त भूमि का जमाबंदी पंजी II में संधारित नहीं पाया गया। तत्पश्चात राजस्व उप निरीक्षक द्वारा पंजी-27 से मिलान किया गया। जिसमें पाया गया कि उल्लेखित भूमि नामांतरण वाद सं०- 313/84-85 के अनुसार भुन्दा मांझी, पिता- घुन्टु मांझी के नाम से नामांतरित है एवं वर्ष 2008-09 तक लगान रसीद अद्यतन है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, नामांतरण शुद्धि पत्र की प्रति, लगान रसीद की प्रति एवं पंजी- 27 की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया है। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त भूमि का ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है। लेखापित  अंचल अधिकारी चाण्डिल।  अंचल अधिकारी, चाण्डिल।	क०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए०० में)	पंजी II रैयत का नाम	1	2	3	4	5	6	1	गौरी/327	25	906	0.43	भुन्दा मांझी, पिता- घुन्टु मांझी			24	163	0.26	कुल				0.69 ए०		
क०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए०० में)	पंजी II रैयत का नाम																										
1	2	3	4	5	6																										
1	गौरी/327	25	906	0.43	भुन्दा मांझी, पिता- घुन्टु मांझी																										
		24	163	0.26																											
कुल				0.69 ए०																											